


निर्णय :- प्रत्येक क्षेत्रीय वनमण्डल में वन अपराधों के अभियोजन का कार्य संपादित करने हेतु सहायक वन संरक्षक की पदस्थिति ।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमोंक/एफ-5/21/2002/10/3 दिनांक 22 अप्रैल, 2003

शासन के संदर्भाकित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है । शासनादेश के बिन्दु क्रमोंक 3 में निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक वन मण्डल में वन अपराध के अभियोजन के कार्य की देख-रेख करने के लिये एक सहायक वन संरक्षक की पदस्थिति की जाय । कृपया शासनादेश के अनुसार सहायक वन संरक्षक की पदस्थिति की कार्यवाही प्रारंभ करने का कष्ट करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।


मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

आपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा/राज)